न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज सरकार जरिये पटवारी हल्का रानाडीपा

बनाम

अप्रार्थी :— श्री जितेन्द्रसिंह राजपूत   निवासी रानाडीपा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 55 / 2018

निर्णय   दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रानाडीपा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद घोलिया के खसरा नम्बर 182 में किस्म ना.4 में रकबा 0.0316 बीघा भूमि में बाड़ा बनाकर लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ....—.... ने दिनांक ....—.... को उपस्थित होकर ....—.... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा घोलिया के खसरा नम्बर 182 किस्म में ना.4 में रकबा 0.0316 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3.00 रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0316 बीघा भूमि के 0.0916 रूपये लगान का 50 गुणा 5/— अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16-8-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा